[2021] 1 एस. सी. आर 829

चिन्टेल्स इंडिया लि.

वी.

भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2020 की सिविल अपील संख्या 4028)

11 फरवरी, 2021

[आर. एफ. नरीमन, नवीन सिन्हा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह, 1996-एस। 37 (1) ((ग) और एस। 34 – क्या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का आदेश अस्वीकार कर रहा है

आवेदन यू/एस दाखिल करने में अपीलार्थी की देरी को क्षमा करें। 34 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का एक अपील योग्य आदेश है। 37 (1) (ग) उक्त अधिनियम का-आयोजितः एक अपील यू/एस। 37 (1) (ग) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 एक आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य होगा। आवेदन जमा करने में देरी को माफ करने से इनकार करना। 34 एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996।

मध्यस्थता और सुलह, 1996-एस। 37 (1) (ग)-मध्यस्थता

अधिनियम, 1940 - धारा 39 (1) (vi)-आयोजितः एस. 39 (1) ((vi) 1940 के अधिनियम का अनुच्छेद एस के समान है। 37 (1) (ग) मध्यस्थता अधिनियम, 1996-यह आयोजित किया गया था

उच्चतम न्यायालय के दो निर्णय अर्थात बी. पी. डी. पी./आर. ई. ओ. रांची के मुख्य अभियंता बनाम. स्कूटर विल्सन किरपैट्रिक इंडिया (पी.) लिमिटेड (2006) 13 एस. सी. सी. 622: [2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 836 और फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333: [2011] 11 एससीआर 1.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः क्या उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का आदेश

अदालत ने अपील दायर करने में अपीलार्थी की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया आवेदन यू/एस। 34 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का एक अपील योग्य आदेश है। 37 (1) ((ग) उक्त अधिनियम का?

1. मध्यस्थता की धारा 34 (1) का पठन और

सुलह अधिनियम, 1996 यह स्पष्ट करेगा कि किसी पुरस्कार को अलग रखने के लिए किया गया आवेदन दोनों के अनुसार होना चाहिए।

उप-धाराएँ (2) और (3)। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसा आवेदन न केवल उप-धारा (3) द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर होना चाहिए, बल्कि ऐसे पुरस्कार को अलग करने के लिए उप-धारा (2) और/या (2ए) के तहत आधार निर्धारित करना होगा। क्या?

इससे पता चलता है कि आवेदन स्वयं समय के भीतर होना चाहिए, और यदि तीन महीने की अवधि के भीतर नहीं है, तो देरी की माफी के लिए एक आवेदन के साथ होना चाहिए, बशर्ते कि यह 30 दिनों की और अवधि के भीतर हो, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 लागू नहीं होती है और 120 दिनों से अधिक की किसी भी देरी को माफ नहीं किया जा सकता है- हिमाचल राज्य

प्रदेश बनाम। हिमाचल टेक्नो इंजीनियर और ए. एन. आर. (2010) 12 पैराग्राफ 5 पर एस. सी. सी. 210। [पैरा 8] [839-जी-एच; 840-ए-बी] 2. अब 1996 के अधिनियम की धारा 37 (1) (सी) पर आते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति "अलग करना या अस्वीकार करना"

एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखना "अपने आप में खड़ा नहीं होता है। अभिव्यक्ति को उस अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो "धारा 34 के तहत" का अनुसरण करती है। धारा 34 इन आधारों तक सीमित नहीं है कि

धारा 34 (2) के तहत बनाया गया। जाहिर है, इसलिए, प्रावधान के शाब्दिक अध्ययन से पता चलता है कि धारा 34 की उप-धारा (3) के तहत विलंब के रूप में मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने से इनकार करना निश्चित रूप से धारा 37 (1) (सी) के अंतर्गत आता है। उपरोक्त तर्क इस तथ्य से मजबूत होता है कि धारा के तहत

37 (2) (क) अपील तब होती है जब धारा 16 की उप-धारा (2) या (3) में निर्दिष्ट याचिका स्वीकार की जाती है। इससे पता चलता है कि

विधानमंडल, जब वह पूरे खंड के विपरीत किसी खंड के हिस्से को संदर्भित करना चाहता था, तो उसने ऐसा किया। की तुलना में

धारा 37 (1) (सी) की भाषा, जहां "धारा 34 के तहत" अभिव्यक्ति पूरी धारा को संदर्भित करती है और केवल धारा 34 (2) को नहीं, यह तथ्य कि धारा 34 (3) के तहत देरी को माफ करने से इनकार करने के लिए एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखने से इनकार किया जा सकता है, और अधिक मजबूत हो जाता है। [पैरा 9] [840-बी-ई] 3. एस्सार कंस्ट्रक्शंस में, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत दिए गए एक फैसले में इस न्यायालय का सामना उसी प्रश्न के साथ किया गया था जो इस अपील में उठाया गया है। एस्सार में

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "दावा याचिका दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार करने का आदेश अंततः मूल याचिका के निपटारे का प्रभाव डालता है। इसलिए इस तरह के आदेश को एक

पुरस्कार के रूप में माना जा सकता है और इसलिए यह अपील योग्य है। [पैरा 10 और 12] [840-ई-एफ; 841-जी-एच; 842-ए]

4. यह ध्यान दिया जाएगा कि जहाँ तक वर्तमान प्रश्न है

1940 के अधिनियम की धारा 39 (1) (vi) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (c) के समान है।

यह चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड, v. में आयोजित किया गया था। भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

उच्चतम न्यायालय के दो निर्णय अर्थात बी. पी. डी. पी./आर. ई. ओ. रांची के मुख्य अभियंता बनाम. स्कूटर विल्सन किर्पैट्रिक इंडिया (पी.) लिमिटेड और फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड [पैरा 14] [843-सी-डी]

5. एस्सार कंस्ट्रक्शंस में तर्क इस न्यायालय के समक्ष स्वयं की प्रशंसा करता है, जो मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (सी) में निहित एक समान सामग्री प्रावधान पर है। यह न्यायालय केवल यह जोड़ सकता है कि उपरोक्त निर्णय का तर्क आगे है

खंड के तहत अतिरिक्त शब्दों के विश्लेषण द्वारा मजबूत किया गया

34 " जो धारा 37 (1) (सी) में आती है, और जो धारा 39 (1) (vi) में अनुपस्थित हैं। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 है]। [पैरा 19] [846-सी-ई]

6. प्रत्यर्थी के वकील ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 5 पर भरोसा किया है। उत्तरदाता के अनुसार,

प्रतिवादी का तर्क बहुत आगे, जैसे कि गैर-अवरोधक के बाद खंड, धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायिक प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा "सिवाय इसके कि इस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया है। "इस भाग में जो प्रावधान किया गया है" वह धारा 37 है, जो इसलिए हमें वर्ग एक पर वापस लाता है। निस्संदेह, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील का एक सीमित अधिकार दिया गया है। लेकिन यह प्रांत या कर्तव्य नहीं है।

इस न्यायालय के उन अपीलों को छोड़कर ऐसे अधिकार को और सीमित करने के लिए जो वास्तव में प्रदान की गई हैं, प्रावधान की भाषा को देखते हुए जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर व्याख्या की गई है। इस प्रकार, इस अंतिम तर्क में भी कोई पैर नहीं है जिस पर खड़ा होना है। [पारस 35 और 36] [856-जी-एच] 7. नतीजतन, कानून के सवाल का जवाब यह कहते हुए दिया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (सी) के तहत एक अपील देरी को माफ करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य होगी।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करने में। [पैरा 37] [857-बी-डी]

एस्सार कंस्ट्रक्शंस वी। एन. पी. रामकृष्ण रेड्डी (2000) 6 एस. सी. सी. 94 [2000] 3 एस. सी. आर. 923; के मुख्य अभियंता

बी पी डी पी/आर ई ओ रांची बनाम। स्कूटर विल्सन किर्पैट्रिक इंडिया (पी.) लिमिटेड (2006) 13 एस. सी. सी. 622 [2006] 8 सप्लीमेंट।

एससी

आर 836; [2021] 1 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फ्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8

एससीसी 333: [2011] 11 एस. सी. आर. 1; भारत संघ बनाम। प्रबंधक,

जैन एंड एसोसिएट्स (2001) 3 एस. सी. सी. 277: [2001] 1 एससीआर

889 ; अमर नाथ ओम प्रकाश बनाम। पंजाब राज्य (1985)

1 एससीसी 345: [1985] 2 एस. सी. आर. 72-निर्भर।

महाराष्ट्र राज्य और अन्र। वी. मेसर्स रामदास

निर्माण कंपनी और ए. एन. आर. 2006 (6) माहा। एल. जे. 678;

भारत संघ बनाम। राधा कृष्ण सेठ और अन्र। 2005

एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 8400-खारिज।

बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी। वी. एनएचपीसी लिमिटेड (2020) 4 एससीसी 234

प्रतिष्ठित।

—

भारत संघ बनाम। सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2017)

14 एस. सी. सी. 225-लागू नहीं होता है।

हरमनप्रीत सिंह सिद्धू बनाम। आर्केडिया शेयर और स्टॉक

ब्रोकर्स प्रा. लिमिटेड 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 5383; राज्य

हिमाचल प्रदेश बनाम। हिमाचल टेक्नो इंजीनियर

और एन. आर. (2010) 12 एस. सी. सी. 210-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 3 एस. सी. आर 923

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2006] 8 पूरक। एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2011] 11 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

(2020) 4 एससीसी 234

प्रतिष्ठित

पैरा 3

(2017) 14 एससीसी 225

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 4

(2010) 12 एस. सी. सी 210

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 एससीआर 889

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1985] 2 एससीआर 72

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल ऐप

2020 का सं. 4028।

उच्च के 04.12.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से (

2020 की एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) (कम.) संख्या 68 में नई दिल्ली में।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजशेखर राव, अर्शदीप सिंह, ई.

हर्षवर्धन, सुश्री नीहा नागपाल, अरीब अमानुल्लाह, कार्तिक सु चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड।

वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

सुश्री मानसी सूद, सुश्री विशाखा गुप्ता, श्रीधर काले, उदभव नंदा, मलक मनीष भट्ट, सौरभ कृपाल, गौरव मित्रा, सुश्री मेघना मिश्रा, देबमाल्या बनर्जी, सुश्री मनमीत कौर, रोहन शर्मा, कार्तिक

एम/एस के लिए भटनागर, यशवर्धन बंदी, उज्जवल सिंह, वर्धन वांचू, सुश्री अंजलि द्विवेदी। करंजावाला एंड कंपनी, एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. यह अपील अनुच्छेद 133 के तहत जारी प्रमाण पत्र से उत्पन्न होती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2020 के विवादित फैसले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 134A के साथ पढ़ा गया। इस अपील में यह सवाल उठाया गया है कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("मध्यस्थता अधिनियम, 1996") की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में अपीलार्थी की देरी को माफ करने से इनकार करने वाला एकल न्यायाधीश का आदेश उक्त अधिनियम की धारा 37 (1) (सी) के तहत एक अपील योग्य आदेश है। विशेष रूप से, इस न्यायालय के दो निर्णयों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा:

" 18. हमने प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार किया है। हालाँकि, जैसा कि 5 नवंबर, 2020 को सुनवाई में हमारे द्वारा देखा गया था, बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा जे. वी. के संदर्भ में धारा 34 के तहत आधारों को पूरी तरह से संदर्भित किया गया था और केवल धारा 34 (2) तक ही सीमित नहीं था, हम निम्नलिखित के तहत एक आवेदन की वापसी के मामले के बीच अंतर करने के लिए इच्छुक थे।

बनाए रखने योग्य। 19.
हालाँकि हम यह भी देख सकते हैं कि धारा 37 (1) (बी), अपील योग्य आदेशों का प्रावधान करते समय, धारा 34 को पूरी तरह से संदर्भित करती है और धारा 34 (2) को नहीं; हालाँकि बी. जी. एस. एस. सोमा जे. वी. सुप्रा ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो आदेश इसके तहत अपील योग्य है वह एक आदेश [2021] 1 एस. सी. आर. है।

कंस्ट्रक्शन कं. (2001) 8 एस. सी. सी. 470, तीस दिनों से अधिक की देरी को माफ करने के लिए अदालत में निहित शक्ति को प्रतिबंधित करता है, वही पुरस्कार को अलग करने से इनकार करने के लिए समय सीमा का एक आधार भी बनाता है और पुरस्कार को अलग करने के लिए स्व-निहित संहिता का हिस्सा है; इस प्रकार, उक्त समय सीमा के आधार पर एक पुरस्कार को अलग करने से इनकार करना, धारा 37 के अर्थ के भीतर इनकार होगा और धारा 37 के तहत अपील योग्य होगा। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजशेखर राव के इस तर्क में भी योग्यता है कि देरी को माफ करने से इनकार करने से भी अंतर्निहित आदेश की पुष्टि होती है। इस संबंध में सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 27 का उल्लेख किया जा सकता है, जो हालांकि किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमे के संदर्भ में, संपत्ति के अधिकार को उसके कब्जे के लिए मुकदमा स्थापित करने के लिए निर्धारित अवधि के निर्धारण पर समाप्त कर देता है। हालाँकि हमें आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी और रामदास कंस्ट्रक्शन कंपनी के आदेश से बंधे हैं।

20. हम एक अन्य पहलू पर भी विचार कर सकते हैं। धारा 37 को पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने में देरी को माफ करने से इनकार करने के खिलाफ अपील की अनुमति नहीं देने के रूप में पढ़ने से, पुरस्कार से पीड़ित व्यक्तियों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करना आवश्यक रूप से उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा नहीं हो सकता है, बल्कि देश के वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा भी हो सकता है। इस निर्णय से व्यथित व्यक्तियों के लिए देश के किसी भी वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं होगा।

पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन करने में देरी को माफ करें, ऐसे व्यक्तियों के पास या तो पुरस्कार को स्वीकार करने/बाध्य रहने का विकल्प छोड़ दें, भले ही उनके पास इसे अलग करने के लिए उत्कृष्ट आधार हों या अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प हो। भारत के संविधान का, जिससे उच्चतम न्यायालय पर एक परिहार्य बोझ पड़ता है, जो संविधान की योजना के अनुसार चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड, v.

भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारत सरकार की परिकल्पना संवैधानिक मुद्दों से जुड़े मामलों की सीमित संख्या में सुनवाई करने के लिए की गई थी न कि देरी को माफ करने के मामलों की सुनवाई के लिए। यद्यपि नि:सन्देह समीचीनता और सीमित न्यायिक हस्तक्षेप की योजना मध्यस्थता अधिनियम में निहित है, लेकिन साथ ही यह भी नहीं भुलाया जा सकता है कि अधिनियम फिर भी मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ उपचार प्रदान करता है और यह महसूस किया जाता है कि देश के किसी भी वाणिज्यिक न्यायालय का आदेश निहित करने के लिए, जो पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने में देरी को माफ करने से इनकार करता है, और जो देरी इस देश में प्रचलित सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों के रूप में विविध कारणों से हो सकती है, और उच्च न्यायालयों को भी ऐसा करने का कोई अवसर प्रदान नहीं करता है।

उस पर एक नज़र डालें, तो बहुत कठोर परिणाम होगा।

21. इस प्रकार, बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा जे. वी. और ऊपर दिए गए रामदास कंस्ट्रक्शन कंपनी में उच्चतम न्यायालय के आदेश से बंधे होने के कारण, अपील को विचारणीय नहीं बताते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 134 ए के साथ पठित अनुच्छेद 133 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। अपीलार्थी "।

2. यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दायर आवेदन में देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपने दिनांकित निर्णय को रद्द करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप धारा 34 के आवेदन को ही खारिज कर दिया।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजशेखर राव ने इस न्यायालय के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है।

एस्सार कंस्ट्रक्शंस वी। एन. पी. रामकृष्ण रेड्डी (2000) 6 एस. सी. सी. 94 , जो मध्यस्थता की धारा 39 के तहत दिया गया निर्णय था।

अधिनियम, 1940। उनका तर्क है कि चूंकि 1940 के अधिनियम की धारा 39 मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के साथ समानता में है, इसलिए एक अपील में एक एकल न्यायाधीश देरी को माफ करने से इनकार कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप एक आदेश एक मध्यस्थ पुरस्कार को रद्द करने से इनकार कर देता है, जो एस्सार निर्माण का अनुपात है।

(उपर्युक्त) धारा 37 में निहित एक ही प्रावधान के सभी चार पर लागू होगा। ऐसा होने पर, उन्होंने तर्क दिया कि यह स्पष्ट है कि देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक पुरस्कार को अलग करने से इनकार कर दिया जाएगा, इस तरह के खिलाफ एक अपील।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत बनाए रखने योग्य आदेश। उन्होंने इस मुख्य न्यायालय के फैसलों पर भी दृढ़ता से भरोसा किया बी. पी. डी. पी./आर. ई. ओ. रांची के

इंजीनियर बनाम। स्कूटर विल्सन किरपैट्रिक इंडिया (पी.) लिमिटेड (2006) 13 एस. सी. सी. 622 और फुएर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (2011) 8 एस. सी. सी. 333 धारा [2021] 1 एस. सी. आर.

39 1940 के अधिनियम का माध्यस्थम् अधिनियम, 1996 की धारा 37 के लिए अपरिमित प्रावधान था। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश 1, बॉम्बे 2, कर्नाटक 3, दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालयों के फैसलों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि देरी को माफ करने से इनकार करने का आदेश एक ऐसे आदेश से पूरी तरह से अलग है जो देरी को माफ करता है, क्योंकि बाद के आदेश को कार्यवाही को कोई अंतिमता प्रदान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब कोई आदेश देरी को माफ करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अदालत ने एक पुरस्कार को रद्द करने से इनकार कर दिया है क्योंकि वह अंततः मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 (2) में उल्लिखित आधारों पर उपरोक्त पुरस्कार को रद्द कर सकती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारत संघ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय v.

राधा कृष्ण सेठ और अन्र। , 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 8400 और महाराष्ट्र राज्य में बॉम्बे उच्च न्यायालय बनाम। रामदास

निर्माण कंपनी 2006 (6) माह। एल. जे. 678 ने कानून को सही ढंग से नहीं बताया और इस न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जहां कानून द्वारा अपील का अधिकार दिया जाता है, प्रारंभिक आधार पर बर्खास्तगी फिर भी अपील को खारिज करना है, क्योंकि इसके बाद इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपील का अधिकार, एक बार दिए जाने के बाद, वैधानिक व्याख्या द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए जहां उपयोग किए गए शब्द व्यापक निर्माण में सक्षम हैं। विशेष रूप से, अनुभाग की भाषा का उल्लेख करते हुए

37 (1) (ग) मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत उन्होंने तर्क दिया कि धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने से इनकार किया जाना चाहिए, जिसमें धारा 34 (3) शामिल है, जिसके तहत अदालत धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार कर सकती है। विवादित निर्णय में संदर्भित सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों पर आते हुए, यह उनका तर्क था कि इस न्यायालय का ध्यान बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी में केंद्रित था। वी. एन. एच. पी. सी. लिमिटेड (2020) 4 एस. सी. सी. 234, एक पूरी तरह से अलग सवाल पर था, अर्थात्, क्या धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन को उचित अदालत को वापस किया जाना चाहिए, इस बात पर निर्भर करता है कि मध्यस्थता का स्थान कहाँ स्थित था।

' बिस्लेरी इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. सन पेटपैक जबलपुर प्रा. लिमिटेड और एन. आर. 2009 (4) M.P.L.J. 514.

2 ई-स्क्वायर लीजर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, पुणे बनाम। के. के. दानी कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स प्रा. लि. 2013 (3) Mh.L.J. 24; जयश्री जिनिंग एंड स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. सी. ए. गलियाकोटवाला एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 5067।

3 मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड बनाम मेसर्स अन्नपूर्णा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ओआरएस। आईएलआर 2015 केएआर 4199। ' हरमनप्रीत सिंह सिद्धू बनाम। आर्केडिया शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2016) 234 डीएलटी 30.

' दामोदर घाटी निगम बनाम। संजय सिंह राठौर 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 4014।

चिन्टेल्स इंडिया लिमिटेड, v. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह केवल इस प्रश्न से संबंधित चर्चा के दौरान था कि इस न्यायालय ने दिल्ली के निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियों को मंजूरी दी।

देरी को माफ करते हुए, एक खंड पीठ ने तब यह अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल इस संदर्भ में है कि बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) के पैराग्राफ 17 ने की गई टिप्पणियों को मंजूरी दी। हरमनप्रीत सिंह सिद्धू (ऊपर) मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय ने धारा 34 के तहत पुरस्कार को रद्द करने से इनकार कर दिया है,

जिस तरह से

मई

फिर भी ऐसा करें यदि धारा 34 (2) में निहित आधारों में से कोई भी बनाया गया है। जहाँ तक इस न्यायालय का आदेश दिनांक 12.04.2017 महाराष्ट्र राज्य में है और एन. आर. वी. मेसर्स रामदास कंस्ट्रक्शन कंपनी और ए. एन. आर. [सी. ए. सं. 5247-5248 2007] के संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि यह न्यायालय रखरखाव के पहलू में बिल्कुल नहीं गया, लेकिन अंततः सिविल अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जिला न्यायाधीश, नागपुर ने अभिनिर्धारित किया था कि देरी की अवधि चार महीने से अधिक होने के कारण, न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत विलंब की माफी के लिए आवेदन या गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

4. श्री मुकुल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से, इस तथ्य का दृढ़ता से खंडन किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 1940 अधिनियम की धारा 39 के साथ समरूपता में है। उनके अनुसार, 1940 के अधिनियम की धारा 39 भौतिक रूप से अलग है, और उक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत बनाए गए आधारों से संबंधित है, जो आधारों से पूरी तरह से अलग थे। जिसे 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) और (2ए) के तहत बनाया जा सकता है। इसलिए, श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि धारा 37 की अपनी शर्तों पर व्याख्या करने की आवश्यकता है, और इसके परिणामस्वरूप, एस्सार कंस्ट्रक्शंस (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा। उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 5 पर दृढ़ता से भरोसा किया, जिसके द्वारा इसे वैधानिक रूप से बनाया गया था।

स्पष्ट करें कि मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 को लागू करने के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भी भरोसा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 वास्तव में इस उद्देश्य को पूरा करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस उद्देश्य को पहले धारा 37 (1) में निहित

अबाधित खंड द्वारा और दूसरा इस तथ्य द्वारा प्रबलित किया गया था कि धारा 37 में निहित अपील के आधार संपूर्ण हैं और यह स्पष्ट करता है कि अपील केवल निम्नलिखित आदेशों से होगी और किसी अन्य से नहीं।

इस तथ्य पर भी जोर दिया कि "अर्थात्" शब्द यह स्पष्ट करता है कि केवल धारा 37 में निर्धारित आदेशों से ही अपील दायर की जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि एक अपील, क़ानून का एक प्राणी होने के नाते, किसी भी शब्द का विस्तार किए बिना क़ानून के प्रावधान के रूप में पढ़ी जानी चाहिए। उपयोग किया जाता है। उनके अनुसार, धारा 37 (1) (सी) स्पष्ट है और बिना किसी अस्पष्टता के-"धारा 34 के तहत" अभिव्यक्ति को धारा के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

पूर्ववर्ती शब्द "मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना या अलग रखने से इनकार करना", और जब ऐसा पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि पुरस्कार को अलग करने से इनकार करना केवल गुण-दोष पर हो सकता है, न कि किसी प्रारंभिक आधार पर जो तब पुरस्कार को अलग करने से इनकार कर देगा। उन्होंने इस तथ्य पर दृढ़ता से भरोसा किया कि इस न्यायालय ने बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) में हरमनप्रीत सिंह सिद्धू (ऊपर) को मंजूरी दी थी, और इसके पैराग्राफ 17 में ठीक यही कहा था। इसके बाद उन्होंने भारत संघ बनाम के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। सरलता इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2017) 14 एस. सी. सी. 225 इस प्रस्ताव के लिए कि चाहे देरी को माफ किया जाए या न किया जाए, वही परिणाम सामने आता है-यह नहीं कहा जा सकता है कि देरी को माफ करने या अस्वीकार करने से, एक मध्यस्थ पुरस्कार या तो

अलग हो जाता है या नहीं। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि वास्तव में रामदास में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला निर्माण कंपनी (ऊपर) कानून का सही उच्चारण था, और हमें इस उच्चारण को स्वीकार करना चाहिए और अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों को रद्द करना चाहिए।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 को पहले निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:

आदेश पारित करने वाला न्यायालय, अर्थात्:
(क) धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से इनकार करना;

(ख) धारा 9 के तहत कोई उपाय देना या देने से इनकार करना;

(ग) के तहत एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना

धारा 34.

(2) मध्यस्थ के आदेश के खिलाफ अदालत में अपील भी की जाएगी।

ट्रिब्यूनल चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड। वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(3) धारा 16 की; या (ख)
धारा के तहत अंतरिम उपाय देना या देने से इनकार करना।

17 .

(3) अपील में पारित आदेश के खिलाफ कोई दूसरी अपील नहीं होगी।

इस धारा के तहत, लेकिन इस धारा में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या

उच्चतम न्यायालय में अपील करने का कोई भी अधिकार छीन लें। "

6. चूँकि हम सीधे तौर पर धारा 37 (1) (सी) से संबंधित हैं, इसलिए धारा 34 की भाषा में भी विज्ञापन देना महत्वपूर्ण है। धारा 34 (1) इस प्रकार है:

" 34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। — (1)

एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ एक अदालत का सहारा केवल इस तरह के पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है

उप-धारा (2) और उप-धारा (3)।

7. धारा 34 (2) और (2ए) तब उन आधारों को निर्धारित करती है जिन पर मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है। धारा 34 (3), जो फिर से सामग्री है

इस अपील में उठाए गए प्रश्न के निर्णय के लिए, निम्नानुसार है:

" (3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन पार्टी कर रही है। उस
आवेदन को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत कोई अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस पर वह

मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था:

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक था
तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया, यह आवेदन पर विचार कर सकता है।

तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर, लेकिन उसके बाद नहीं। "

8. धारा 34 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी पुरस्कार को अलग रखने के लिए किया गया आवेदन दोनों उपखंडों के अनुसार होना चाहिए।

खंड (2) और (3)। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसा आवेदन न केवल उप-धारा (3) द्वारा निर्धारित सीमा अवधि के भीतर होना चाहिए, बल्कि ऐसे पुरस्कार को अलग करने के लिए उप-धारा (2) और/या (2ए) के तहत आधार निर्धारित करना होगा। इसके बाद जो बात सामने आती है वह यह है कि

आवेदन स्वयं समय के भीतर होना चाहिए, और यदि तीन महीने की अवधि के भीतर नहीं है, तो [2021] 1 एस. सी. आर. की माफी के लिए आवेदन के साथ होना चाहिए।

विलंब, बशर्ते कि यह 30 दिनों की और अवधि के भीतर हो, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 लागू नहीं होती है और 120 दिनों से अधिक की किसी भी देरी को माफ नहीं किया जा सकता है-हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम देखें। हिमाचल टेक्नो इंजीनियर और ए. एन. आर. (2010) 12 पैराग्राफ 5 पर एस. सी. सी. 210।

9. अब हम धारा 37 (1) (सी) पर आते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति "एक मध्यस्थ पुरस्कार को अलग करना या अलग करने से इनकार करना" खुद से खड़ा नहीं होता है। अभिव्यक्ति को निम्नलिखित अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए-"धारा 34 के तहत"। धारा 34 धारा 34 (2) के तहत बनाए जा रहे आधारों तक सीमित नहीं है। जाहिर है, इसलिए, प्रावधान के शाब्दिक अध्ययन से पता चलता है कि मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने से इनकार करना।

क्योंकि धारा 34 की उप-धारा (3) के तहत विलंब को माफ नहीं किया गया है, निश्चित रूप से धारा 37 (1) (सी) के अंतर्गत आएगा। उपरोक्त तर्क है

पूरे खंड के विपरीत, कार्रवाई ने ऐसा किया। धारा 37 (1) (सी) की भाषा के विपरीत, जहां "धारा 34 के तहत" अभिव्यक्ति पूरी धारा को संदर्भित करती है और केवल धारा 34 (2) को नहीं, यह तथ्य कि मध्यस्थता पुरस्कार को माफ करने से इनकार करने के लिए अलग रखने से इनकार किया जा सकता है। धारा 34 (3) के तहत देरी को और मजबूत किया जाता है।

10. एस्सार कंस्ट्रक्शंस (उपरोक्त) में, 1940 के अधिनियम की धारा 39 के तहत दिए गए एक फैसले में, इस न्यायालय का सामना उसी प्रश्न के साथ किया गया था जो हमारे समक्ष अपील में उठाया गया है। इस निर्णय के अनुपात को समझने के लिए, सबसे पहले 1940 के अधिनियम की धारा 39 निर्धारित करना आवश्यक है,

जो नीचे लिखा है:

" 39. अपील योग्य आदेश: - (1) इस अधिनियम के तहत पारित निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत न्यायालय में अपील की जाएगी।

आदेश पारित करने वाले न्यायालय का:

एक आदेश -

((i) मध्यस्थता का स्थान लेना;

((ii) एक विशेष मामले के रूप में बताए गए पुरस्कार पर;

((ग) किसी पुरस्कार में संशोधन या सुधार करना।

((iv) मध्यस्थता समझौता दायर करना या दाखिल करने से इनकार करना; इंटेल्स इंडिया लिमिटेड।

वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(v) कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने या रोकने से इनकार करने के लिए जहां एक है

मध्यस्थता समझौता;

(vi) किसी पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना;

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान किसी पर लागू नहीं होंगे

लघु कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या नहीं करेगा।

उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को समाप्त कर दें।

11. जिस प्रश्न का न्यायालय को उत्तर देना था, वह निर्धारित किया गया था

एस निम्नलिखित है:

" 5. लेकिन क्या सिविल न्यायाधीश का आदेश धारा 5 के तहत प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करने के लिए संहिता की धारा 115 के तहत पुनर्विचार योग्य था या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 के तहत उससे अपील की गई थी? इसका उत्तर क्षणिक है क्योंकि अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ धारा 115 के तहत उपलब्ध शक्तियों की तुलना में व्यापक हैं। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 (1) (vi) में कहा गया है कि एक अपील अन्य बातों के साथ-साथ एक आदेश से संबंधित होगी जो मध्यस्थता अधिनियम, 1940 को रद्द करने से इनकार करता है।

6. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, काकीनाडा एक आदेश था जिसे दरकिनार करने से इनकार कर दिया गया था पुरस्कार ", हमें तथ्यों पर विचार करना होगा।"

12. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश को निर्धारित करने के बाद, जिन्होंने डी को दरकिनार करने के लिए आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने का आदेश दिया, अदालत ने तब निर्णय दिया:

" 11. आदेश का परिणाम वास्तव में यह था कि प्रार्थना

पुरस्कार को रद्द करने से देरी के आधार पर इनकार कर दिया गया था।

12. "प्रभाव परीक्षण" को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा बाबुमियान और मस्तान बनाम में लागू किया गया था। के. सीतयाम्मा [ए. आई. आर. 1985]

ए. पी. 135] जिसने कहा:

" I. जी. गोपालस्वामी बनाम के फैसलों का प्रकाश। जी.

नवलगरिया [ए. आई. आर. 1967 मैड 403] और 1977 के सी. एम. ए. संख्या 612 दिनांक 3-4-1978 में पीठ का निर्णय, कानूनी स्थिति हो सकती है

निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाए: दावा याचिका दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार करने का आदेश अंततः [2021] 1 एस. सी. आर. के निपटारे का प्रभाव डालता है।

मूल याचिका। इसलिए इस तरह के आदेश को एक पुरस्कार के रूप में माना जा सकता है और इसलिए यह अपील योग्य है।

13. पुनः असम उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने माफीजुद्दीन भुइयां बनाम. अलीमुद्दीन भुयान [ए. आई. आर. 1950 एस. 191] ने कहा है:

" चाहे किसी पुरस्कार पर आपत्तियों को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया जाए या उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि वे समय से परे दायर किए गए हैं, न्यायालय उन्हें खारिज करके पुरस्कार को रद्द करने से इनकार कर देता है, और किसी पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करने का आदेश धारा 39 के तहत स्पष्ट रूप से अपील योग्य है।

16. अदालतों में स्थिति अलग नहीं होनी चाहिए जहां सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अलग आवेदन की आवश्यकता होती है। दाखिल किया। यदि पहले उल्लिखित विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय सही हैं, तो धारा 5 के तहत आवेदन खारिज होने के कारण, धारा 30 के तहत आवेदन को भी परिणामस्वरूप खारिज करना होगा, हालांकि यह केवल एक औपचारिकता हो सकती है। अंतिम परिणाम यह होगा कि

एक ही। XXX XXX XXX

21. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 (1) (vi) उन आधारों का संकेत नहीं देती है जिनके आधार पर न्यायालय पुरस्कार को रद्द करने से इनकार कर सकता है। इसकी भाषा में इंटेल्स इंडिया लिमिटेड को अलग करने से इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पुरस्कार क्योंकि पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन सीमा द्वारा वर्जित है। धारा 5 के तहत आवेदन को खारिज करके, पुरस्कार की आक्रामकता अदालत तक समाप्त हो जाती है

आवेदन को अस्वीकार करने का संबंध है। अंततः यह है कि

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 के तहत पारित एक आदेश हालांकि

सीमा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना।

13. अदालत ने अंततः निष्कर्ष निकालाः

" 25. धारा 39 (1) (vi) और धारा 17 को एक साथ पढ़ने पर, यह होगा

इसलिए एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए एक आवेदन का पालन करें जो है

इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इसमें देरी हुई है और यह पर्याप्त नहीं है सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कारण बताया गया है

यह एक अपील योग्य आदेश होगा।

14. यह ध्यान दिया जाएगा कि जहां तक वर्तमान प्रश्न का संबंध है, 1940 के अधिनियम की धारा 39 (1) (vi) पर निम्नलिखित की धारा 37 (1) (c) के बराबर नहीं है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996। यह वास्तव में दो फैसलों में माना गया था।

एस कोर्ट। बी. पी. डी. पी./आर. ई. ओ. रांची (ऊपर) के मुख्य अभियंता के रूप में, यह

टी जब एक समान प्रश्न पर विचार किया जाता है तो निम्नानुसार आयोजित किया जाता हैः

" 5. अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में "पुराना अधिनियम") की धारा 39 (1) (vi) के साथ समरूपता में है। द.

अधिनियमों में प्रावधान इस प्रकार हैंः

1996 अधिनियम

" 37. (1) एक अपील निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से कानून द्वारा अपील सुनने के लिए अधिकृत अदालत में होगी।

आदेश पारित करने वाले न्यायालय के मूल फरमान, अर्थात् - ***

(ख) धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करना या अलग रखने से इनकार करना।

1940 अधिनियम

“ 39. अपील योग्य आदेश। — (1) से एक अपील होगी

इस अधिनियम के तहत पारित आदेशों के बाद (और किसी अन्य से नहीं)

मूल फरमानों से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अदालत

आदेश पारित करने वाली अदालत का:

एक आदेश

(vi) किसी पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना:

15. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने तब एस्सार कंस्ट्रक्शंस (ऊपर) में उल्लेख किया और उसका पालन किया और निर्णय में भारत बनाम भारत शामिल था। प्रबंधक, जैन एंड एसोसिएट्स (2001) 3 एस. सी. सी. अंततः धारकः

" 8. लोकप्रिय निर्माण मामले [(2001) 8 एस. सी. सी. 470] में निर्णय इस मामले में विशिष्ट मुद्दों से संबंधित नहीं था। उस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "पर्याप्त कारण मामलों" के संबंध में अधिनियम की धारा 34 (3) के प्रावधान जो संबंधित विशेष प्रावधान हैं। सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "सीमा अधिनियम") की धारा 5 के सामान्य प्रावधानों को दरकिनार करते हुए देरी को माफ करना। पश्चिमी बिल्डरों के मामले में स्थिति दोहराई गई थी [(2006) 6

एस. सी. सी. 239] और फेयरग्रोथ निवेश में भी

लिमिटेड वी. संरक्षक [(2004) 11 एस. सी. सी. 472]। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि विलंब की माफी का प्रावधान करने वाले सीमा अधिनियम की धारा 5 को अधिनियम की धारा 34 (3) द्वारा बाहर रखा गया है।

क्या अपील विचारणीय थी। उच्च न्यायालय ने नहीं किया इस पहलू पर विचार करें। अपील स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य है। इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार करेगा और गुण-दोष पर संबंधित रुख की जांच करेगा।

अपील बनाए रखने योग्य होनी चाहिए। "

16. इसी तरह, फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 37. इन सामान्य सिद्धांतों को सी. पी. सी. की धारा 104 और विभिन्न अन्य अधिनियमों के तहत दिए गए इस न्यायालय के फैसलों से निकाला गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन 1940 के अधिनियम की धारा 39 के संदर्भ में विचाराधीन प्रश्न पर इस न्यायालय के निर्णयों का एक और समूह है। पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 39

इसमें अपील का प्रावधान था और निम्नानुसार प्रावधान किया गया था: " 39.अपील योग्य आदेश। (1) इस अधिनियम के तहत पारित निम्नलिखित आदेशों (और किसी अन्य से नहीं) से आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल डिक्री से अपील सुनने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अदालत में अपील की जाएगी:

एक ऑर्डर इंटेल्स इंडिया लिमिटेड। वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थता का स्थान लेना;

((i)

एक विशेष मामले के रूप में बताए गए पुरस्कार पर;

((ख) (iii)

किसी पुरस्कार को संशोधित या सही करना;

((iv)

मध्यस्थता समझौता दायर करना या करने से इनकार करना;

(v)

कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने या इनकार करने के लिए जहां वहाँ

इसान मध्यस्थता समझौता;

(vi) किसी पुरस्कार को अलग रखना या अलग रखने से इनकार करना:

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधान किसी पर लागू नहीं होंगे

लघु कारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित आदेश से कोई दूसरी अपील नहीं होगी, लेकिन इस धारा में कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा या नहीं करेगा।

उच्चतम न्यायालय में अपील करने के किसी भी अधिकार को समाप्त कर दें।

(जहाँ तक वर्तमान के लिए प्रासंगिक है, 1996 के अधिनियम की धारा 37, ऊपर उद्धृत पिछले अधिनियम की धारा 39 के समान है।)

17. इसके बाद इसने वकील के एक तर्क का उल्लेख किया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 39 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 और धारा के बीच अंतर होगा।

1996 का अधिनियम इस प्रकार है:

" 43. श्री डेव ने जवाब में कहा कि 1940 के अधिनियम की धारा 39 और धारा 37 में आने वाले शब्द (और किसी अन्य से नहीं)

1996 के अधिनियम के प्रावधान वास्तव में अनावश्यक थे और देखा गया था, इस प्रकार, 1940 के अधिनियम की धारा 39 या 1996 के अधिनियम की धारा 37 और धारा 50 के प्रावधानों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं होगा।

1996 के अधिनियम और अधिनियम की धारा 39 पर दिए गए सभी निर्णय 1940 का अधिनियम धारा के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर पूरी ताकत से लागू होगा।

50 1996 के अधिनियम "।

18. जहाँ तक मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा का संबंध है, यह न्यायालय स्वयं के तर्क से सहमत था, लेकिन धारा के रूप में प्रस्तुत करने से असहमत था।

1996 के अधिनियम का संबंध इस प्रकार था:

“ 52. कोष्ठक के व्याकरणिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए या

कोष्ठक, यदि शब्द "(और किसी अन्य से नहीं)" में हो रहे हैं

1940 के अधिनियम की धारा 39 या 1996 के अधिनियम की धारा 37 हैं -

"एक स्पष्टीकरण या विचार के बाद" या अतिरिक्त जानकारी [2021] 1 एस. सी. आर. के रूप में देखा जाता है।

मुख्य संदर्भ से अलग, तो, श्री डेव के प्रस्तुतिकरण में कुछ सार हो सकता है कि कोष्ठक में शब्द हैं अधिशेष और संक्षेप में धारा 39 के प्रावधान

1940 1996 के अधिनियम या 1996 के अधिनियम की धारा 37 1996 के अधिनियम की धारा 50 के समान है। 1940 के अधिनियम की धारा 39 में कहा गया है कि अब और नहीं।

1996 के अधिनियम की धारा 50 में जो निर्धारित किया गया है, उससे कम नहीं। लेकिन यह तर्क देने का एक अलग कारण हो सकता है कि धारा 39

1940 अधिनियम या 1996 अधिनियम की धारा 37 के समतुल्य हैं -

1996 के अधिनियम की धारा 50 से मौलिक रूप से अलग और इसलिए, 1940 के अधिनियम की धारा 39 के तहत दिए गए निर्णयों का अधिनियम की धारा 50 के तहत उत्पन्न होने वाले तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।

1996 एक्ट करें। लेकिन इसके लिए हमें बुनियादी योजना पर एक नज़र डालने की जरूरत है।

1996 के अधिनियम और इसके प्रासंगिक प्रावधान।

19. एस्सार कंस्ट्रक्शंस (ऊपर) में तर्क की सराहना की गई है।

स्वयं हमारे लिए, धारा में निहित एक परिमाणीय प्रावधान पर होने के नाते

37 (1) (ग) मध्यस्थता अधिनियम, 1996। हम केवल यह जोड़ सकते हैं कि उपरोक्त निर्णय का तर्क हमारे विश्लेषण से और मजबूत होता है "धारा 34 के तहत" अतिरिक्त शब्द जो धारा 37 (1) (सी) में आते हैं, और जो धारा 39 (1) (vi) [परि858] में अनुपस्थित हैं।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के लिए सामग्री प्रावधान जो मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 है]।

20. वास्तव में, एस्सार में संदर्भित "प्रभाव सिद्धांत"

निर्माण (उपर्युक्त) वैधानिक रूप से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 में ही अंतर्निहित है। इस उद्देश्य के लिए, धारा 37 (1) (ए) और 37 (2) (ए) का उल्लेख करना आवश्यक है। जहाँ तक धारा 37 (1) (ए) का संबंध है, जहाँ किसी पक्ष को धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, वहाँ कोई अपील नहीं होती है। इसके लिए

इस तरह के आदेश का प्रभाव यह है कि पक्षों को मध्यस्थता के लिए जाना चाहिए, यह विद्वान मध्यस्थ पर छोड़ दिया जा रहा है कि वह अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रारंभिक बिंदुओं पर निर्णय ले, जो तब धारा 37 (2) (ए) के तहत अपील का विषय बन जाता है या धारा 34 के तहत अलग रखने के लिए आधारों का विषय बन जाता है।

इस बात पर कि क्या प्रारंभिक बिंदु मध्यस्थ द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किए जाते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 8 के तहत मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने का आदेश प्रथम दृष्टया किया जा सकता है।

यह निष्कर्ष निकालना कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है, या इस आधार पर कि मूल मध्यस्थता समझौता, या इसकी विधिवत प्रमाणित प्रति धारा 8 के तहत आवेदन के साथ संलग्न नहीं है। किसी भी मामले में, अर्थात। क्या धारा 8 के तहत अदालत में जाने का प्रारंभिक आधार चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड, v नहीं है।

भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

या तो मूल मध्यस्थता समझौते को संलग्न नहीं करके, या एक विधिवत

प्रमाणित प्रति, या गुण-दोष पर-अदालत का यह निष्कर्ष कि प्रथम दृष्टया कोई वैध समझौता मौजूद नहीं है-एक अपील धारा 37 (1) (ए) के तहत होती है।

21. इसी तरह, धारा 37 (2) (ए) के तहत, जहां मध्यस्थ का प्रारंभिक आधार जिसके पास जारी रखने की अधिकारिता नहीं है

कार्यवाही की जाती है, एक अपील उक्त प्रावधान के तहत होती है, क्योंकि इस तरह का निर्धारण प्रकृति में अंतिम होता है क्योंकि यह मध्यस्थता कार्यवाही को एक स्तर पर लाता है।

अंत। तथापि, यदि इसके विपरीत विद्वत मध्यस्थ द्वारा आयोजित किया जाता है, तो मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही तब जारी रखी जाती है और प्रारंभिक आधार पर उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी जा सकती है।

धारा 34 के तहत पुरस्कार दिए जाने के बाद कोई अपील नहीं की जाती है। यह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16 (5) और (6) द्वारा स्पष्ट किया गया है जो निम्नानुसार है:

" 16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र। XXX XXX XXX

(5) मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपखंड में निर्दिष्ट याचिका पर निर्णय लेगा। धारा (2) या उप-धारा (3) और, जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण याचिका को अस्वीकार करने का निर्णय लेता है, मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखता है।

और एक मध्यस्थ पुरस्कार दें। (6) इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार से पीड़ित एक पक्ष इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकता है।

धारा 34 "के साथ।

22. इस तथ्य को देखते हुए कि "प्रभाव सिद्धांत" धारा 37 के तहत अपील के लिए वैधानिक प्रावधान का हिस्सा है, और स्पष्ट रूप से

धारा 37 (1) (सी) की भाषा में, श्री रोहतगी के तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है।

23. अब हम सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के फैसले पर आते हैं।

लिमिटेड (ऊपर)। इस फैसले में, इस अदालत के समक्ष जो तर्क दिया गया था, वह अपील के तहत डिवीजन बेंच के फैसले के संदर्भ में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

" 11. हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए एक अच्छा अंतर किया कि अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर करने में देरी को माफ करने का विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बाहर था और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में नहीं था। इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना संभव नहीं है। डिवीजन बेंच, हमारी राय में, यह टिप्पणी करने में सही नहीं था कि [2021] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय

तनुश्री आर्ट प्रिंटर्स में [तनुश्री आर्ट प्रिंटर्स बनाम। रवीन्द्र नाथ पाल, 2000 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 217] एक ही न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ का होने के नाते, फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान देने के बावजूद बाध्यकारी था। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2011) 8 एस. सी. सी. 333]-जो सीधे मुद्दे पर है और अपीलार्थी द्वारा सेवा में लगाया गया था। न ही डिवीजन बेंच

कलकत्ता उच्च न्यायालय जो मोदी कोरिया से निपटता था दूरसंचार लिमिटेड [मोदी कोरिया दूरसंचार]

लिमिटेड वी. एप्पकॉन कंसल्टेंट्स (पी) लिमिटेड, 1999 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 19] और न ही तनुश्री आर्ट प्रिंटर्स का फैसला करने वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को इस अदालत के फैसले का लाभ मिला।

लॉसन लिमिटेड, जो बाद में है।"

24. यह कहते हुए कि खंड पीठ गलत थी, क्योंकि एक निर्णय न्यायाधीश को धारा के तहत याचिका दायर करने में देरी को मंजूरी देता है जिसे अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है, न्यायालय ने तब निर्णय दिया:

" 12 ..... इस प्रावधान को नंगे पढ़ने पर, यह देखा जाता है कि अपील का उपचार केवल धारा के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अलग करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ प्रदान किया गया है।

34. याचिका दायर करने में देरी को माफ करते हुए सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की जाती है।

अधिनियम की धारा 34 के तहत। इसलिए खंड पीठ ने विवादित फैसले में ठीक ही कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश के खिलाफ अपील का उपाय नहीं था अन्यथा अधिनियम की धारा 37 के तहत उपलब्ध है।

13. हमारी राय में, फ़्यूर्स्ट डे लॉसन लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ मुद्दे का स्पष्ट रूप से जवाब दिया जाता है। जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, (2011) 8 एस. सी. सी. 333] इसमें, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय दिनांक 27-4-2016 [भारत संघ बनाम। सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 12045], अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत कथित एक आवेदन पर पारित किया गया था, जिसमें मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए कहा गया था। इसलिए, उस निर्णय के

खिलाफ पत्र पेटेंट अपील का उपचार उपलब्ध नहीं है। यह प्रश्न कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवेक का सही ढंग से प्रयोग किया था या अन्यथा, इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से हमला किया जा सकता है। लेकिन, निश्चित रूप से चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड के तहत लेटर पेटेंट अपील के माध्यम से नहीं।

वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खंड 15. के लिए, भले ही विद्वान एकल न्यायाधीश हो सकता है

स्पष्ट त्रुटि की गई या देरी को माफ करने के लिए आवेदन का गलत निर्णय लिया गया, वह निर्णय अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में, क्या विलंब की क्षमा के लिए प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है या क्या

आवेदन अस्वीकार किए जाने के योग्य है, यह एक अच्छी तरह से भीतर का मामला है

उस न्यायालय की अधिकारिता "।

25. यह निर्णय किसी भी तरह से हमारे द्वारा रखे गए निर्णय के खिलाफ नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने वाला एकल न्यायाधीश का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना था, इस न्यायालय ने सही ढंग से अभिनिर्धारित किया कि ऐसा आदेश क़ानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग है। इसलिए इस निर्णय को इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है कि हमारे समक्ष वर्तमान अपील में निहित तथ्यों के विपरीत स्थिति को अपील योग्य नहीं माना गया है, इसलिए इसका पालन करना चाहिए कि जहां भी देरी को माफ नहीं किया जाता है, वही स्थिति प्राप्त होती है। यह इस निर्णय में निहित तर्क के साथ-साथ एस्सार कंस्ट्रक्शंस (उपरोक्त) में निहित तर्क के सामने उड़ान भरेगा, जिसने खुद को सराहा है। हमारे लिए।

26. अब हम बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर आते हैं। जैसा कि श्री राव ने सही बताया, बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न पूरी तरह से अलग था, जिसे निर्णय के पैराग्राफ 1 में इस प्रकार रखा गया है:

" 1. छुट्टी दे दी गई। हमारे समक्ष तीन अपीलें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम, 1996" के रूप में संदर्भित) की धारा 37 के तहत अपीलों की स्थिरता के बारे में सवाल उठाती हैं, और इन कार्यवाहियों में मध्यस्थता खंड को देखते हुए, क्या मध्यस्थता कार्यवाही का "स्थान" नई दिल्ली या फरीदाबाद है, जिसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की जा सकती है।

मध्यस्थता का स्थान स्थित है "।

27. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने सबसे पहले मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 13 के बीच परस्पर क्रिया का अध्ययन किया। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 अकेले अपील के लिए आधार प्रदान करती है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 (1) इसकी प्रक्रिया प्रदान करती है। चर्चा के दौरान, इस न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को इस प्रकार संदर्भित किया:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 16. श्री चौधरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया, जिसे हरमनप्रीत सिंह सिद्धू बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था। आर्केडिया

शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स (पी) लिमिटेड [(2016) 234 डीएलटी 30], जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी

धारा 34 याचिका दायर करने में देरी की माफी के लिए आवेदन। डिवीजन बेंच ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस तरह के खिलाफ एक अपील वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के साथ पठित मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत आदेश बनाए रखने योग्य नहीं होगा:

(ए) ए एंड सी अधिनियम की धारा 8 के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ; (बी) देने या अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ। ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई उपाय करने के लिए; या (सी) ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अलग करने से इनकार करने का आदेश। विवादित आदेश [आर्केडिया शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स (पी) लिमिटेड v. हरमनप्रीत सिंह सिद्धू, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6625] स्पष्ट रूप से ए एंड सी अधिनियम की धारा 8 या 9 से संबंधित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क देने की मांग की गई थी कि वर्तमान अपील धारा के अंतर्गत आएगी।

37 (1) (ग) जो धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को "अलग करने" या "अलग करने से इनकार करने" के आदेश से संबंधित है। हम असमर्थ हैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। विवादित आदेश के आधार पर, 10-9-2013 दिनांकित मध्यस्थता पुरस्कार को अलग नहीं किया गया है। न ही अदालत ने इस स्तर पर उक्त मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

ए एंड सी अधिनियम की धारा 34। वास्तव में, जिस अपीलार्थी के पक्ष में पुरस्कार दिया गया है, वह केवल तभी व्यथित होगा जब पुरस्कार को पूरी तरह या आंशिक रूप से अलग रखा गया हो। ऐसा नहीं हुआ है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने जो किया है वह धारा 34 के तहत याचिका को फिर से दायर करने में देरी को माफ करना है। इसने किसी भी तरह से पुरस्कार को प्रभावित नहीं किया है।

17. हरमनप्रीत सिंह सिद्धू के मामले में इस फैसले में तर्क हमें खुद की सराहना करता है, क्योंकि उन फैसलों के बीच एक अंतर किया जाता है जो या तो दरकिनार कर देते हैं, या दरकिनार करने से इनकार करते हैं, एक मध्यस्थता पुरस्कार जिसके बाद अदालत धारा 34 पर अपना दिमाग लगाती है।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996, विलंब की माफी के प्रारंभिक आदेशों के खिलाफ, जो किसी भी तरह से मध्यस्थता पुरस्कार को प्रभावित नहीं करते हैं। इंटेल्स इंडिया लिमिटेड।

28. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि निर्णयों को डी के प्रमेयों की तरह नहीं माना जाना चाहिए (अमर नाथ ओम प्रकाश बनाम देखें। पंजाब राज्य 5) 1 एस. सी. सी. 345), लेकिन उसमें की गई सभी टिप्पणियों को उस एक्स. टी. से संबंधित होना चाहिए जिसमें वे किए गए थे। उस मामले में, न्यायालय ने इसे इस प्रकार रखा:

" 10. श्रीनिवास में एक और महत्वपूर्ण वाक्य है।

जनरल ट्रेडर्स बनाम। ए. पी. राज्य [(1983) 4 एस. सी. सी. 353] जिसके साथ

हमें अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए, यह कहा गया था:

" अत्यंत सम्मान के साथ, विद्वान न्यायाधीश की इन टिप्पणियों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, न ही किसी क़ानून के प्रावधान के रूप में। इन टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें

वे प्रकट होते हैं। "

हम यह कहना उचित समझते हैं, जैसा कि हम पहले ही अन्य मामलों में कह चुके हैं कि न्यायालयों के निर्णयों को क़ानून के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी कानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है।

लेकिन चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है न कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधियों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं। वे विधियों के शब्दों की व्याख्या करते हैं; उनके शब्दों की व्याख्या विधियों के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

लंदन ग्रेविंग डॉक कं. लिमिटेड बनाम हॉर्टन [1951 एसी 737,

761] लॉर्ड मैकडर्मोट ने कहा:

“ इस मामले को, निश्चित रूप से, केवल विल्स, जे. के इप्सिसिमा वर्बा के साथ व्यवहार करके नहीं सुलझाया जा सकता है, जैसे कि वे एक का हिस्सा थे

नई परिस्थितियों में योग्यता की आवश्यकता होगी। मेगारी, जे. इन (1971) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1062 ने कहा:

" किसी को, निश्चित रूप से, एक आरक्षित निर्णय का भी अर्थ नहीं लगाना चाहिए

यहाँ तक कि रसेल, एल. जे. जैसे कि यह संसद का एक अधिनियम था। "

और, हैरिंगटन बनाम में। ब्रिटिश रेलवे बोर्ड [1972 एसी 877]

(एच. एल.)] लॉर्ड मॉरिस ने कहा:

" किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में किए जाते हैं।

11. केवल कृष्ण पुरी में कुछ अन्य अवलोकन हैं।

मामला [(1980) 1 एस. सी. सी. 416] जो उसी बल के साथ लागू होता है जो हमने ऊपर कहा है। अक्सर उद्धृत को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड हैल्सबरी का सच है कि एक मामला केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या निर्णय लेता है और न कि उसके लिए जो तार्किक रूप से अनुसरण करने के लिए प्रतीत हो सकता है।

उस से "।

29. जिस संदर्भ में बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा (ऊपर) का अनुच्छेद 17 बनाया गया था, वह एक ऐसा संदर्भ था जिसमें धारा 34 के तहत एक आवेदन होगा -

उस न्यायालय को वापस करना होगा जिसे धारा 34 के आवेदन पर निर्णय लेने की अधिकारिता थी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का स्थान कहाँ स्थित था। इस संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक मात्र प्रारंभिक कदम,

जिसके कारण आवेदन को अंततः खारिज नहीं किया गया, इसे एक ऐसे आदेश के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप आवेदन के भाग्य को एक बार और हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा। न्यायालय का ध्यान धारा 37 (1) (सी) की भाषा पर नहीं था, और न ही इसकी सही व्याख्या के रूप में किसी तर्क को संबोधित किया गया था। वास्तव में, हरमनप्रीत सिंह सिद्धू (ऊपर)

स्वयं ने पकड़ रखा:

" 13. संक्षेप में, आक्षेपित आदेश ए एंड सी अधिनियम की धारा 37 (1) में निर्दिष्ट अपील योग्य आदेशों की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए, भले ही धारा 37 (1) के प्रावधानों को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 के साथ पढ़ा जाए, वर्तमान अपील है -

रखरखाव योग्य नहीं है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ओ. एम. पी. 294/2014 में निर्णय (ए एंड सी की धारा 34 के तहत) लिया जाता है, तो अपीलकर्ता उस आधार को नहीं उठा सकता है जिसका हमारे सामने आग्रह किया जाना चाहिए। अधिनियम) उसके खिलाफ जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि मध्यस्थता पुरस्कार को आंशिक या संपूर्ण रूप से

अलग कर दिया जाता है और अपीलार्थी इससे व्यथित हो जाता है, तो वह गुण-दोष के आधार पर ए एंड सी अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील कर सकता है।

साथ ही इस आधार पर भी कि पुनः दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए था। यह ए एंड सी अधिनियम की योजना के अनुरूप है, जिसमें किसी भी तरह से इसके तहत कार्यवाही को नहीं रोका गया है। उदाहरण के लिए, ए एंड सी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत, यदि मध्यस्थ इंटेल्स इंडिया लिमिटेड को चुनौती दी जाती है।

वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सफल नहीं होता है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने और एक मध्यस्थता पुरस्कार देने की आवश्यकता होती है और इस तरह के एक मामले में

उदाहरण के लिए, जैसा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 13 (5) में प्रदान किया गया है, मध्यस्थ को चुनौती देने वाला पक्ष धारा 34 के अनुसार इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरे शब्दों में, एक मध्यस्थ को एक असफल चुनौती के लिए एक उपाय का सहारा लेने को पुरस्कार देने के चरण तक स्थगित कर दिया जाता है। इसी तरह, धारा 16 के तहत, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र पर फैसला दे सकता है। ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक याचिका को खारिज कर देता है, उसे ए एंड सी अधिनियम की धारा 16 (5) द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने और मध्यस्थता पुरस्कार देने का आदेश दिया जाता है। धारा 16 (6) में कहा गया है कि एक पक्ष व्यथित है।

इस तरह के मध्यस्थता पुरस्कार द्वारा धारा 34 के अनुसार पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यहाँ भी, असफल पक्ष, जो एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देता है, को निर्णय दिए जाने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता है। ऐसे मामले में मध्यस्थ की अधिकारिता के संबंध में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय पर सवाल उठाने का उपाय समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि केवल मध्यस्थ निर्णय दिए जाने तक स्थगित किया गया है। इसी तरह, वर्तमान मामले में, निर्णय को चुनौती देने का उपाय पुनः दाखिल करने में देरी को माफ करने की अनुमति समाप्त नहीं की गई है, लेकिन लंबित धारा 34 याचिका पर अदालत के अंतिम निर्णय तक स्थगित कर दी गई है।

30. जाहिरा तौर पर इसलिए, इस न्यायालय की संदर्भ से बाहर की गई टिप्पणी को उस मुद्दे को समाप्त करने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो अब हमारे सामने है।

31. अब हम श्री रोहतगी के मामले पर आते हैं,

ली, रामदास कंस्ट्रक्शन कं. (ऊपर)। इस फैसले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक खंड एच ने निर्णय दिया:

" 9. अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि अलग रखने के लिए आवेदन तीन महीने के बाद किया जा सकता है -

उस तारीख से जिस दिन ऐसा आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत कोई अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस दिन उस अनुरोध का मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा निपटारा किया गया था, बशर्ते कि यदि न्यायालय का समाधान हो कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। कानून के इस प्रावधान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि विधायिका ने [2021] 1 एस. सी. आर. दाखिल करने के लिए सीमा की एक विशिष्ट अवधि प्रदान की है।

पुरस्कार को दरकिनार करने के लिए आवेदन और साथ ही न्यायालय को केवल इस तरह की अवधि बढ़ाने का विवेक दिया गया है

तीस दिन, और तीस दिनों की उक्त अवधि से आगे नहीं। इस संबंध में प्रावधान बहुत स्पष्ट है। हालांकि, उप-धारा (3) के तहत जांच का दायरा दाखिल करने में देरी के कारण तक ही सीमित है।

आवेदन लेकिन यह पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन के गुण-दोष से संबंधित नहीं है। ऐसा होने के कारण, एक आदेश जो अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया जाना है, पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन की विषय वस्तु तक विस्तारित नहीं हो सकता है, लेकिन केवल इस तरह के आवेदन को दाखिल करने में देरी के पहलू तक ही सीमित होना चाहिए। ऐसा कोई आदेश नहीं है

अधिनियम की धारा 37 के तहत उक्त अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक अपील योग्य आदेश माना जाता है। यह इस तथ्य से बहुत स्पष्ट है कि धारा 37 पहलू से संबंधित आदेशों को संदर्भित करती है। मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने या अलग रखने से इनकार करने का। यह मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अलग करने से इनकार करने के मुद्दे के संबंध में जांच से पहले की कार्यवाही का उल्लेख नहीं करता है। विषय-आवेदन दाखिल करने में देरी की बात और

एकर क्षमायाचना जांचसँ पूर्व कोनो मध्यस्थ पुरस्कारकेँ अलग करबाक या अलग करबाक लेल मना करबाक कार्यवाहीसँ सम्बन्धित अछि। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 37 (1) (बी) में कोई प्रावधान नहीं है।

मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अलग करने से इनकार करने के संबंध में जांच से पहले के मामले से संबंधित ऐसी कार्यवाही में पारित आदेश, ऐसे आदेश को अपील योग्य नहीं माना जा सकता है।

दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने आवेदन पर विचार नहीं किया है पुरस्कार को योग्यता के आधार पर अलग करना और उसका निपटारा केवल आवेदन की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप किया गया है

विलंब की क्षमा और पुरस्कार को अलग करने के मुद्दे पर पक्षों के अधिकारों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग के उद्देश्य से जिस अपील योग्य आदेश पर विचार किया गया है, वह वह है जो इंटेल्स इंडिया लिमिटेड से संबंधित है।

वी. भायाना बिल्डर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अलग रखने के दावे के संबंध में मामले के गुण या

मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने से इनकार करना। जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, धारा 37 के तहत अपीलीय शक्तियां उन कार्यवाहियों के संबंध में नहीं हैं जो अलग करने के संबंध में जांच से पहले होती हैं।

या मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने से इनकार करना। इस तरह से,

विलम्ब की क्षमा स्वयं एक अपील योग्य आदेश के बराबर नहीं हो सकती है। अधिनियम की धारा 37 (1) के तहत अपील के उद्देश्य से धारा 34 (1) के तहत।

32. यह निर्णय कानून को सही ढंग से बताने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह

एस्सार कंस्ट्रक्शंस में इस न्यायालय के फैसले का विज्ञापन नहीं

क), और ऊपर हमारे द्वारा दी गई राशन अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (ग) की व्याख्या के खिलाफ है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि उपरोक्त निर्णय के खिलाफ दीवानी अपील को खारिज करते हुए,

" 1. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने, पहली बार में, मुख्य अभियंता द्वारा 30.06.2005 पर दिए गए पुरस्कार पर आपत्ति जताई,

जिला न्यायाधीश, नागपुर के समक्ष अपील को प्राथमिकता देना। जिला न्यायाधीश, नागपुर ने योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि यह सीमा द्वारा वर्जित है, और इस तरह, देरी को माफ करने के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। जिला न्यायाधीश, नागपुर ने अपने दिनांक 23.12.2005 के आदेश में निम्नानुसार दर्ज किया: " 17. नट शेल में, अभिलेख पर रखी गई सामग्री से जो निकलता है वह यह है कि आवेदक या दूसरे शब्दों में, पार्टी बनाना

धारा 34 के तहत आवेदन ने विधिवत रूप से 4.7.2005 पर पुरस्कार प्राप्त किया, लेकिन 18.11.2005 पर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 4.7.2005 और 18.11.2005 के बीच का समय प्रशासनिक निर्णय लेने में लगा। तीन महीने की सीमा की वैधानिक अवधि से परे, तीस दिनों की आगे की अवधि को माफ किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। 4.11.2005 पर, चार महीने की पूरी अवधि बीत गई। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस न्यायालय के पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

2. 23.12.2005 दिनांकित आदेश पर अपीलार्थियों द्वारा हमला किया गया था उच्च न्यायालय के समक्ष। असफल रहने के बाद, अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्राथमिक मुद्दा, जो विचार के लिए उभरता है, वह है कि क्या [2021] 1 एस. सी. आर. की बर्खास्तगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 34 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन

जिला न्यायाधीश, नागपुर द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'मध्यस्थता अधिनियम' के रूप में संदर्भित) को उचित ठहराया गया था।

कानून में।

3. जहाँ तक मुद्दे का संबंध है, प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम संतुष्ट हैं कि पहले के एक अवसर पर, वही प्रस्ताव इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, और इस न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स (2010) 12 एस. सी. सी. 210 में घोषित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति को देखते हुए, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत सीमा के विषय पर, हमारा विचार है कि जिला न्यायाधीश, नागपुर द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

33. इस न्यायालय का आदेश किसी भी तरह से इस पर स्पर्श नहीं करता है -

बॉम्बे उच्च न्यायालय का तर्क। इसके विपरीत, यह न्यायालय हिमाचल प्रदेश टेक्नो इंजीनियर्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करता है, जो हमारे द्वारा ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) द्वारा बाहर रखा गया है और देरी की कोई भी माफी 120 दिनों की अवधि से आगे नहीं हो सकती है। यह इस आधार पर है कि विद्वान जिला न्यायाधीश के आदेश का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया। नतीजतन, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को मंजूरी दी। इसी तरह, राधा कृष्ण सेठ (ऊपर) में निहित तर्क, हमारे लिए स्वयं की प्रशंसा नहीं करता है। इसलिए ये दोनों निर्णय कानून को सही ढंग से नहीं बताते हैं और खारिज हो जाते हैं।

34. श्री रोहतगी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण और विशेष रूप से खंड 4 (v) का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है:

" 4. विधेयक के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(v) मध्यस्थता में न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका को कम करना। प्रक्रिया; "

35. श्री रोहतगी ने तब हमें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 5 पढ़ी। उनके अनुसार, इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, धारा 37 थी अपील का सीमित अधिकार देने वाला अधिनियम। उन्होंने तर्क दिया कि एक अपील, कानून का एक प्राणी होने के नाते, इसलिए, चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड, v से आगे नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।

विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया। मध्यस्थता और सुलह की धारा 5

अधिनियम इस प्रकार है:

" 5. न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार। - किसी भी बात के बावजूद तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित, इस भाग द्वारा शासित मामलों में, कोई भी न्यायिक प्राधिकारी इसके अलावा हस्तक्षेप नहीं करेगा

जहाँ इस भाग में ऐसा उपबंध किया गया है।

36. यह खंड श्री रोहतगी के तर्क को ज्यादा नहीं लेता है।

इसके अलावा, गैर-अबाधित खंड के बाद, धारा में कहा गया है कि कोई भी न्यायिक प्राधिकरण "इस भाग में जहां इस तरह से प्रावधान किया गया है, उसके अलावा" हस्तक्षेप नहीं करेगा। "इस भाग में जो प्रावधान किया गया है" वह धारा 37 है, जो इसलिए हमें वर्ग एक पर वापस लाता है। निस्संदेह, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत अपील का एक सीमित अधिकार दिया गया है। लेकिन यह प्रांत या कर्तव्य नहीं है।

इस न्यायालय के उन अपीलों को छोड़कर ऐसे अधिकार को और सीमित करने के लिए जो वास्तव में प्रदान की गई हैं, प्रावधान की भाषा को देखते हुए जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर व्याख्या की गई है। इस प्रकार, इस अंतिम तर्क में भी कोई पैर नहीं है जिस पर खड़ा होना है। 37. नतीजतन, कानून के सवाल का जवाब यह कहते हुए दिया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 37 (1) (सी) के तहत एक अपील दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ बनाए रखी जाएगी।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन।

38. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। अपील के तहत डिवीजन बेंच के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है, और मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच को भेज दिया जाता है जो यह तय करता है कि क्या

एकल न्यायाधीश द्वारा देरी को माफ करने से इनकार करना सही है या नहीं।

39. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान